**राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के अधीन अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी में) जारी किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**

1. संकल्‍प (Resolutions)

2. सामान्‍य आदेश (General Orders)

3. नियम (Rules)

4. अधिसूचनाएं (Notifications)

5. प्रशासनिक तथा अन्‍य रिपोर्ट (Administrative and other reports)

6. प्रेस विज्ञप्ति (press communiques)

7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्‍य रिपोर्ट

(Administrative and other reports to be laid before a House or Houses of Parliament)

8. संसद के समक्ष प्रस्‍तुत किए जाने वाले सरकारी कागज-पत्र

(Govt. papers to be laid before the Parliament),

9. संविदाएं (Contracts),

10. करार (Agreement),

11. अनुज्ञप्तियां (License),

12. अनुज्ञा पत्र (Permit),

13. टेंडर नोटिस (Tender Notice),

14. टेंडर फार्म (Tender Form )